

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत... जिला न्यायालय ... मुकाम... रोह
 ... सरकार ... बनाम... अजीज वगैरह
 किस्म मुकद्दमा... जो वगैरह ... नं... 89 ... सन्... 2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
28 $\frac{12}{21}$	अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित है। प्रकरण समाप्त अदालत है। दर्ज रजिस्टर हो। थानाधिकारी पुलिस थाना पचेवर से केस डायरी तलब कर पत्रावली दिनांक 10.01.2022 को पेश हो।	
10 $\frac{1}{2022}$	अभिभाषक प्रार्थी उप-1 पुलिस थाना पचेवर से केस डायरी प्राप्त हो गई है। पत्रावली दिनांक 2-2-2022 को पेश हो। P.O. का. अन्य शपथपत्र के अग्रहण है।	
2 $\frac{2}{2022}$	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी नूर मोहम्मद व अभिभाषक उप-1 प्रार्थी द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि FIR नम्बर 178/2021 पुलिस थाना पचेवर से शोकेस अधिनियम 1995 में जल्दबासी सेल्ट सं. R 3 48 G.A. 902 का रजिस्टर्ड ऑनर है। यह वाहन पूर्व में कभी किसी थाने या प्रकरण में शोकेस अधिनियम में प्राप्त नहीं किया गया है। अतः जल्द ही प्रार्थी की सुपुत्री की सुपुत्रीनामा व अभिभाषक प्रदान करें। प्रार्थी से डायरी तलब हो। हमने प्रार्थी व प्रार्थी के अभिभाषक से केस को सुना एवं केस डायरी तथा पत्रावली पर शपथपत्र दस्तखत करें।	



तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

का अक्लौमन किलत जल्पा। यदि प्रार्थी
मूर मोहम्मद पुत्र अलानूर नि. ग्राव
इस्लामपुरा थाना डिग्री वाहन के
स्वाधिका के सम्बन्ध में मूर फलकियों
के आग्र दस लाख रुपये की जमानत
व सुपुर्दगीनामा पेश कर देल है तो
उक्त वाहन प्रार्थी की सुपुर्दगी में दे
दिया जाने। मुँकि प्रार्थी मूर मोहम्मद
के - मायालय की कन्सुलि के अनुकार
जमानती मुलीम पुत्र अजमेरी निवासी
हीरापुरा कानोरा जलपुर के दस लाख
रुपये एक के आगज़र जमानतनामा व
सुपुर्दगीनामा पेश कर दिया है। अतः
थानाधिकारी पचेकर के वाहन एक हेर
सौ. R.J. 48 G.A. 402 के जौचन आदेश
(डिलीज आई) जारी किये जाके। घत्रावली
कैसल शुमार होकर बाद लखनीत जाण
दाखिल दफ्तर हो।

जिला कलेक्टर
दोक